भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

कार्यालय ... इन्दौर
श्री ...
प्रार्थी / अभिभाषक द्वारा दिनांक 29/4/2016
को प्रस्तुत।
299/29.04.2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

113

1– श्रीमती गीताबाई पति स्व. बाबुलाल वैष्णव
2– लक्ष्मीकांत पिता स्व. बाबुलाल वैष्णव
3– मोहन पिता स्व. बाबुलाल वैष्णव
4– पप्पू पिता स्व. बाबुलाल वैष्णव
सभी निवासी– म.न. 83 सोनीबाई चाल के पास,
लेडी बटलर के पीछे, कल्लनगंज, खंडवा तहसील व जिला जिला खण्डवा (म.प्र.)

––– प्रार्थीगण

नि – 1624 – PBR – 16

विरुद्ध

1– प्रेमदास उर्फ प्रेमनारायण पिता स्व. पूरनदास वैष्णव
निवासी– कल्लनगंज, खंडवा तहसील व जिला जिला खण्डवा (म.प्र.)
2– श्रीमती चंद्रकांता पति दुर्गाप्रसाद वैष्णव (पिता स्व. पूरनदास वैष्णव)
निवासी– बैकुंठ नगर, खंडवा तहसील व जिला जिला खण्डवा (म.प्र.)
3– श्रीमती रामकली पति सीताराम वैष्णव (पिता स्व. पूरनदास वैष्णव)
निवासी– राम नगर, खंडवा तहसील व जिला जिला खण्डवा (म.प्र.)
4– श्रीमती प्रेमलता पति स्व. नर्मदाप्रसाद वैष्णव
5– देवेन्द्र पिता स्व. नर्मदाप्रसाद वैष्णव
6– श्रीमती रेखा पति कैलाश मिश्रा (पिता स्व. नर्मदाप्रसाद वैष्णव)
7– श्रीमती दुर्गा पति दिनेश वैष्णव (पिता स्व. नर्मदाप्रसाद वैष्णव)
4 से 7 निवासी– हनुमान मोहल्ला गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
8– तुलसीदास पिता बाबुलाल वैष्णव
9– मीराबाई पति लक्ष्मणदास (पिता स्व. बाबुलाल वैष्णव)
10– किरण पति गणेशदास वैष्णव (पिता स्व. बाबुलाल वैष्णव)
11– सुभद्रा पति रूपदास वैष्णव (पिता स्व. बाबुलाल वैष्णव)
निवासी– म.न. 83 सोनीबाई चाल के पास,
लेडी बटलर के पीछे, कल्लनगंज, खंडवा तहसील व जिला जिला खण्डवा (म.प्र.)

–––प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान अधीक्षक भू–अभिलेख परिवर्तित भूमि खण्डवा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 473 / अ–6 / 12–13 में दिनांक 30 / 01 / 2016 तथा 12–2–2016 को पारित अंतरिम आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थीगण यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के तथ्य :–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति शहर खण्डवा मोहल्ला कल्लनगंज वार्ड के भाग में स्थित भूमि एवं उस पर निर्मित मकान प्लाट न 83 कुल क्षेत्रफल 1230 वर्गफीट भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण की पूर्वहितधारी श्रीमती सुंदरबाई बेवा पुरनदास वैष्णव निवासी कल्लनगंज के नाम पर अंकित चली आ रही है।

श्रीमती सुंदरबाई बेवा पुरनदास का दिनांक 08 / 06 / 1989 को देहांत हो गया, मृतक के वारिसों के आधार पर प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण का नाम अंकित किये जाने हेतु प्रतिप्रार्थी क्र. 1 से 3 के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109–110

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1624-पीबीआर/2016 जिला खण्डवा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	